म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, जेलरोड़, भोपाल

कमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/केन्टीन/45/48/3956 भोपाल,दिनांक 30-12-08

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
..... जिला .....

विषयः— मंडी प्रांगण में कृषकों को भोजन उपलब्ध कराने बाबत्।

.....

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मंडी प्रांगण में कृषि उपज की विक्रय के लिये आने वाले कृषकों को 5/— रूपये प्रति थाली भोजन मंडी प्रांगण में उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः—

(1) नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर कृषकों को भोजन उपलब्ध कराये जाने के लिये निविदायें आमंत्रित की जाकर ठेकेदार का चयन किया जायेगा।

(2) भोजनालय ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह न्यूनतम अनिवार्य मीनू 6 पूड़ी तथा सब्जी अथवा 6 रोटी दाल एवं सब्जी के साथ कृषकों को प्रवेश पर्ची/अनुबंध पत्रक के आधार पर रूपये 5/— में भोजन थाली उपलब्ध करायें। एक प्रवेश पर्ची/अनुबंध पत्रक पर अधिकतम दो कृषक ही भोजन कूपन के लिये मान्य होंगे। कृषक बंधुओं द्वारा उक्त मीनू से पृथक अतिरिक्त खाद्य सामग्री की मांग की जाती है तो निर्धारित मूल्य पर ठेकेदार प्रदाय करेगा।

(3) कंडिका (2) में अंकित कृषकों के अतिरिक्त मंडी प्रांगण में आने वाले व्यक्तियों से भोजन थाली का मूल्य, दी गई निविदा अनुसार ठेकेदार ले सकेगा।

(4) ठेकेदार निविदा में आयी दर अनुसार भोजन थाली किसानों को उपलब्ध करायेगा तथा इस थाली को किसानों को रूपये 5/— में प्रदाय करेगा। यदि निविदा मूल्य रू.10/— प्रति थाली से अधिक होता है तो शेष राशि (किसान से वसूल की राशि को छोड़कर) में से अधिकतम रूपये 5/— प्रति थाली अनुदान मंडी समिति द्वारा एवं शेष की प्रतिपूर्ति जनभागीदारी से की जावेगी।

(5) "क" एवं "ख" वर्ग की मंडियों में कृषकों को भोजन के लिये मंडी समिति से दी जाने वाली प्रति कृषक अधिकतम 5/— रूपये की राशि, मंडी समिति वहन करेगी। "ग" वर्ग की मंडियों में अधिकतम 5/— रूपये सब्सिडी की राशि का 50 प्रतिशत मंडी समिति तथा शेष 50 प्रतिशत राशि मंडी बोर्ड द्वारा अनुदान के रूप में मंडी सचिव से व्यय का पूर्ण सत्यापित विवरण प्राप्त होने के आधार पर

वहन की जावेगी। इसी प्रकार "घ" वर्ग की मंडी में अधिकतम 5/– रूपये प्रति कृषक की मान से अनुदान की शतप्रतिशत राशि बोर्ड द्वारा दी जावेगी।

6) भोजन प्रदाय व्यवस्था के लिये चयनित ठेकेदार को स्वच्छ स्थान/भवन/पानी आदि की सशुल्क व्यवस्था मंडी समिति के द्वारा की जायेगी तथा बिजली का प्रदाय ठेकेदारों को वास्तविक व्यय भुगतान (जो कि ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा) पर किया जायेगा।

7) भोजनव्यवस्था का सुचारू संचालन, गुणवत्ता का नियमित निरीक्षण का दायित्व अध्यक्ष मंडी समिति, सचिव मंडी समिति तथा लेखापाल मंडी समिति की कमेटी का होगा।

8) इस योजना में समय समय पर संशोधन करने के अधिकार प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड के पास सुरक्षित रहेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था के लिये बजट में समुचित प्रावधान करते हुए नियमानुसार टेण्डर आदि की प्रकिया 30 दिवस में पूर्ण करते हुए भोजनालय की सुविधा शुरू की जाना सुनिश्चित करें, जिससे प्रांगण में आने वाले कृषकों को भोजन की सुविधा उपलब्ध हो सके। किसानों को उपरोक्तानुसार भोजन प्रदाय व्यवस्था दिनांक 31.1.2009 से पूर्व/तक अवश्य सुनिश्चित कर ली जाये।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/केन्टीन/45/48/3957 भोपाल,दिनांक 30.12.08

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ...
(समस्त)

अपर संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल